# न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 29/2024 बउनवानी लल्यो बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर बौंली
पुत्र श्री नानगा हरिजन निवासी हरिजन बस्ती मलारना डूँगर

**GCMS No-2024/71**

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज |
|---|---|
| **10.7.2024** | पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना एवं उपजिला कलेक्टर बौंली की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 9.4.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बौंली को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः—<br><br>1. प्रार्थी के पिता स्व0 श्री नानगा हरिजन पुत्र श्री भूरा महत्तर निवासी मलारना डूँगर सवाईमाधोपुर के नाम कमाण्डेड ऐरिया मे अलोटमेंट भूमि सन् 1971 अनुसार क्रमांक 176 दिनांक 2.7.1972 को हुई थी। उक्त अलोटमेंट भूमि का प्रार्थी के पिता के नाम से नामा0 कब तक खोलेगें की जानकारी।<br>2. प्रार्थी के पिता की भूमि को प्रार्थी के नाम नामा0 कब तक खोलेगें की सूचना देवे।<br>3. आवंटित भूमि कहॉ पर स्थित है तथा इस जमीन की पेलेन्टी की काटी गयी रसीद की सूचना।<br>4. इस अलोटमेंट के प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति।<br><br>प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बौंली द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बौंली को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।<br><br>नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ किन्तु प्रार्थना पत्र के साथ पेनल्टी की रसीदे जो कि अपठनीय है भिजवायी गयी है। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बौंली की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः प.11(1)आरटीआई/अंतरित/2024/4366 दिनांक 8.7.2024 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 9.4.2024 मे चाही गयी सूचना का संबंध तहसीलदार मलारना डूँगर के कार्यालय से होने के कारण अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र उपजिला कलेक्टर बौंली द्वारा तत्समय ही जरिये पत्रांक 3068 दिनांक 23.4.2024 से अधिनियम की धारा 6(3) के तहत तहसीलदार मलारना डूँगर को अन्तरित किया जाकर अपीलान्ट को भी सूचित कर दिया गया था। इस प्रकार चाही गयी सूचना का संबंध मे उपजिला कलेक्टर बौंली के कार्यालय से नही होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।<br><br>पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 9.4.2024 मे चाही गयी सूचना का संबंध तहसीलदार मलारना डूँगर के कार्यालय से होने के कारण अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र उपजिला कलेक्टर बौंली द्वारा तत्समय ही जरिये पत्रांक 3068 दिनांक 23.4.2024 से अधिनियम की धारा 6(3) के तहत तहसीलदार मलारना डूँगर को अन्तरित किया जा चुका है। अपीलान्ट द्वारा उक्त सूचना तहसीलदार मलारना डूँगर से भी चाहने बाबत अन्य अपील संख्या 31/2023 पेश की हुई है जिसमे अपीलान्ट को सूचना दिये जाने के संबंध मे पृथक से आदेश पारित किये जावेंगे। इस प्रकार चाही गयी सूचना का संबंध तहसीलदार बौंली के कार्यालय से नही [illegible] अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं [illegible] दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।<br><br>Signature Not Verified<br>Digitally signed by Khushaal Yadav<br>Date: 2024.09.24 13:18:23 IST<br>Reason: SelfAttested<br><br>(डॉ0खुशाल यादव)<br>जिला कलेक्टर<br>सवाई माधोपुर |

Scanned with OKEN Scanner